

शैक्षणिक डेरी फार्म, नगला
पो० - डेरी फार्म, नगला - 263149
गो०ब०पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय, पन्तनगर

नीलामी सूचना

शैक्षणिक डेरी फार्म, नगला पर 02 नग निष्प्रयोज्य ट्रैक्टरों को सार्वजनिक बोली/निविदा के माध्यम से दिनांक जुलाई 17, 2020 को 10:00 बजे से विक्रय किया जायेगा। सार्वजनिक बोली सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर उपलब्ध हैं।

सहायक निदेशक (कृषि)
शै०डे०फार्म, नगला


26/06/20

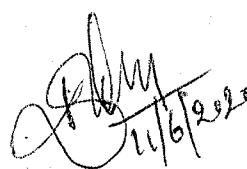
कार्यालय संयुक्त निदेशक
शैक्षणिक डेरी एवं कुक्कुट फार्म, नगला
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर

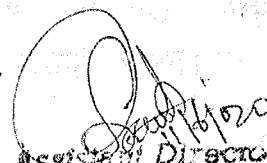
क्र0सं0	विवरण	निर्मित वर्ष	अश्व शक्ति	मात्रा
1.	Mahindra (With all accessories) UP 04 B – 5754 Engine No - CCA 619 Chassis No - CCA 619	1999	50 HP	01 No.
2.	John Deere Tractor (With accessories) UA06 B – 4964 Engine No - PY3029D110819 Chassis No - PY5103B004481	2003	42 HP	01 No.

कार्यालय संयुक्त निदेशक
शैक्षणिक डेरी एवं कुक्कुट फार्म, नगला
गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला- उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

निष्प्रयोज्य ट्रैक्टरों की नीलामी/निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें

1. नीलामी/निविदा किये जाने वाले निष्प्रयोज्य ट्रैक्टरों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक डेरी फार्म, नगला पर भ्रमण कर प्राप्त की जा सकती है।
2. ट्रैक्टरों की नीलामी "माल जहाँ है, जैसा है के आधार" पर की जायेगी तथा नीलामी में क्रय उपरान्त ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में गुणवत्ता एवं अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. उच्चतम बोली/निविदा की धनराशि के अतिरिक्त व्यापार कर का भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त क्रेता को 10 दिन के अन्दर अपने स्तर से वाणिज्य कर विभाग में जमा करना होगा जिसकी पावती शैक्षणिक डेरी फार्म, नगला के कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी तदोपरान्त ही ट्रैक्टरों के हस्तगत की कार्यवाही प्रारम्भ जायेगी।
4. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी को रु0 10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में नीलामी शुरू होने से पूर्व जमा करना होगा। यह धनराशि नीलामी समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर अन्य प्रतिभागियों को वापस कर दी जायेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता द्वारा क्रय किये गये ट्रैक्टरों के मूल्य का 25 प्रतिशत तत्काल जमा तथा शेष धनराशि का भुगतान 15 दिनों के अन्दर ट्रैक्टरों को अपने स्तर से ले जाने से पूर्व किया जाना होगा अन्यथा की दशा में क्रेता द्वारा जमा की गयी 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त अथवा स्थगित कर सकती है तथा सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताये निष्प्रयोज्य ट्रैक्टरों की उच्चतम बोली को स्वीकृति अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
7. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी एक मात्र मध्यस्थ होंगे, जिनका निर्णय दोनों पक्षों (क्रेता एवं विक्रेता) को मान्य होगा।
8. फार्म पर निष्प्रयोज्य ट्रैक्टरों को पृथक-पृथक लॉट में नीलाम किया जायेगा।
9. नीलाम किये गये ट्रैक्टरों को ले जाने हेतु फार्म द्वारा कोई भी साधन क्रेता को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. क्रेता जिसके नाम से उच्चतम बोली स्वीकृत होगी, फार्म द्वारा उसे अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ट्रैक्टर पार-पत्र के माध्यम से हस्तगत किया जायेगा।
11. नीलामी/निविदा हेतु स्वीकृत निष्प्रयोज्य ट्रैक्टरों का उचित मूल्य प्राप्त न होने पर नीलामी आंशिक अथवा पूर्णरूप से निरस्त की जा सकती है।


11/6/2022


Assistant Director
I. D. F


Joint Director
I. D. F, Nagla